13-7-2021

श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हरीश लखवाणी पुत्र लक्ष्मणदास लखवानी, जाति– सिंधी, निवासी– पैलेस रोड, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आर.के.एजेन्सी, राठौड लाईन, पैलेस रोड, सिरोही, जिला–सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (राधादेवी पत्नि श्री वासुदेव खत्री, निवासी–प्लाट नं. 212, आदर्शनगर, अजमेर रोड, ब्यावर, जिला– अजमेर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म खत्री आर्गेनिक्स, कोर्ट के सामने, कचहरी मार्ग, ब्यावर, जिला– अजमेर) की [illegible] अग्रवाल, हाउस नं. 20, धर्मा कोलोनी, गायत्री नगर, अजमेर रोड, ब्यावर, जिला–अजमेर ने उपस्थित होकर

......लगातार

जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.29/2021	

प्रतिवादी संख्या–2 (राधादेवी) की ओर से इस प्रकरण में बतौर प्रतिनिधि उपस्थिति देने के संबंध में प्रतिवादी संख्या–2 का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रतिवादी संख्या–2 (राधादेवी) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा कराई गई लैब जांच की रिपोर्ट के अनुसार हमारे उत्पादन की गुणवत्ता FSSAI Act के मानक स्तर पर पाई गई है, किन्तु उपर के पैकिंग आवरण में हुई गलती के कारण नमूना Misbranded में दोषी पाया गया है, जो कि एक मानवीय त्रुटि है जो कि प्रिंटीग प्रेस की गलती से हुई है। उक्त उत्पाद हमारी फर्म मैसर्स खत्री आर्गेनिक्स का है और मैं उक्त फर्म की एकल स्वामित्वधारी हूँ, अतः इस प्रिंटीग गलती के लिये मैं इसकी जिम्मेदारी मेरे उपर लेते हुये व्यक्तिगत रुप से क्षमा प्रार्थी हूँ व उक्त परिवाद में मुझे न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करते हुये उक्त परिवाद को संचित करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है, इसलिये प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी हरिश लखवानी ने अनुरोध किया कि उसने पैकिगं अवस्था में ही जरिये बिल खाद्य पदार्थ पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) को क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से उपस्थित राजेश्वर प्रसाद अग्रवाल ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादी संख्या–2 पर कम जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.12. 2020 को समय 3.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म आर.के.एजेन्सी, राठौड लाईन, पैलेस रोड, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता ... की हैसियत से प्रतिवादी हरीश लखवानी पुत्र लक्ष्म... लखवानी, जाति– सिंधी, निवासी– पैलेस रोड, सिरोही ... मिले, जो आम जनता को खाद्य ... पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य प... पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.29/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कोतामिल में जारी हुए

अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) के 12 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पिस्ता गजक (राधिक ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1318 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1052/Act/2020/27 दिनांक 06.1.2021 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी हरीश लखवानी की फर्म आर.के. एजेन्सी, पैलेस रोड, सिरोही द्वारा पिस्ता **गजक (राधिका ब्राण्ड) के 500–500** ग्राम के पैक्ड पैकेटों को जरिये बिल इनवोईस नम्बर 563 दिनांक 02.12.2020 **से फर्म खत्री** आर्गेनिक्स, कोर्ट के सामने, कचहरी मार्ग, ब्यावर, जिला– अजमेर से क्रय किये थे, जो खाद्य पदार्थ पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय के लिये मुख्य रुप से फर्म खत्री आर्गेनिक्स, कोर्ट के सामने, कचरी मार्ग, ब्यावर, जिला– अजमेर ही दोषी है। प्रकरण में निर्माता फर्म खत्री आर्गेनिक्स, कोर्ट के सामने, कचहरी मार्ग, ब्यावर, जिला– अजमेर ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ पिस्ता गजक (राधिका ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के प्रतिवादी संख्या–1 (हरीश लखवानी) को दोषमुक्त करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी राधा देवी पत्नि श्री वासुदेव खत्री, निवासी– प्लाट नं. 212, आदर्श नगर, अजमेर रोड, ब्यावर, जिला– अजमेर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म खत्री आर्गेनिक्स, कोर्ट के सामने, कचहरी मार्ग, ब्यावर, जिला– अजमेर पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी राधा देवी पत्नि श्री वासुदेव खत्री, निवासी– प्लाट नं. 212, आदर्श नगर, अजमेर रोड, ब्यावर, जिला– अजमेर, खाद्य कारोबारकर्ता एव ......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.29/2021	नम्बर व [illegible] अह[illegible] इस हुक्म की[illegible] जारी हुए
	प्रोपराईटर, फर्म खत्री आर्गेनिक्स, कोर्ट के सामने, कचहरी मार्ग, ब्यावर, जिला– अजमेर को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.8.2021 को पेश हो। 13/7/2021 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested